भारत सरकार
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 117

सोमवार, 25 नवम्बर, 2019/04 अग्रहायण, 1941 (शक)

असंगठित क्षेत्र में कार्यबल

***117. श्रीमती अपराजिता सारंगी**:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने असंगठित क्षेत्र को परिभाषित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) असंगठित क्षेत्र में राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र-वार और विशेषकर ओडिशा में भारतीय कार्यबल का कुल कितना प्रतिशत है;

(ग) असंगठित क्षेत्र में अत्यधिक मौजूदगी के लिए सरकार द्वारा चिन्हित किए गए कारण क्या हैं; और

(घ) क्या इस समय असंगठित क्षेत्र को संगठित क्षेत्र में रूपांतरित करना व्यवहार्य है, यदि हां, तो इसे किस तरह से किया जा सकता है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल रख दिया गया है।

*** *****

श्रीमती अपराजिता सारंगी द्वारा असंगठित क्षेत्र में कार्यबल से संबंधित दिनांक 25.11.2019 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या 117 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क): असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की धारा 1(1) के अनुसार असंगठित क्षेत्र को "एक ऐसे उपक्रम जिसका स्वामित्व किसी व्यक्ति अथवा स्व-नियोजित कामगार के पास हो और जो किसी वस्तु के उत्पादन अथवा विक्रय में नियोजित हो अथवा जो किसी प्रकार की सेवाएं प्रदान करता हो और जहां कोई उपक्रम किसी कामगार को नियोजित करता हो और ऐसे कामगारों की संख्या 10 से कम हो" के रुप में परिभाषित किया गया है।

(ख) असंगठित क्षेत्र के कामगारों का अद्यतन आकलन आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) से उपलब्ध नहीं होते हैं। तथापि, पीएलएफएस के वार्षिक रिपोर्ट (जुलाई,2017- जून, 2018) से लिए गए अनुमान अनुबंध-I के तालिका 1,2 और 3 पर दिए गए हैं। इसकी व्याख्यात्मक टिप्पणी और व्यापक संरचना अनुबंध -II पर दी गई है।

(ग) और (घ): रोजगार सृजन के साथ-साथ नियोजनीयता में सुधार सरकार की प्राथमिक चिंता है। सरकार ने देश में रोजगार सृजन के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं यथा अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देना, उच्च निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को तीव्रता से पूरा करना और विभिन्न योजनाओं में सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करना।

श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा नियोक्ताओं को रोजगार सृजन के लिए प्रोत्साहित करने हेतु प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत सरकार सभी क्षेत्रों के सभी नए पात्र कर्मचारियों के संबंध में नियोक्ता के सम्पूर्ण अंशदान (12 प्रतिशत अथवा यथा अनुमेय) राशि को ईपीएफ एवं ईपीएस के अंशदान के रूप में तीन वर्षों तक भुगतान करती है। इस योजना का दोहरा लाभ है जिसमें एक ओर नियोक्ता किसी प्रतिष्ठान में कामगारों के रोजगार आधार को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन पाएगा, वहीं दूसरी ओर संगठित क्षेत्र के सामाजिक सुरक्षा लाभों तक इन कामगारों की पहुंच संभव होगी। इस योजना का उद्देश्य अनौपचारिक कामगारों की बड़ी संख्या को औपचारिक कार्यबल के दायरे में लाना है ताकि उन्हें सामाजिक सुरक्षा लाभ मिल सके।

कृषि क्षेत्र के श्रमिकों सहित, असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा के लाभ प्रदान करने के लिए सरकार ने असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 का अधिनियमन किया है। इस अधिनियम में असंगठित कामगारों के लिए (i) जीवन एवं अपंगता छत्र, (ii) स्वास्थ्य और प्रसूति लाभ, (iii) वृद्धावस्था संरक्षण तथा (iv) केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा निर्धारित कोई अन्य लाभ; से संबंधित मामलों पर उपयुक्त कल्याणकारी योजनाओं का उपबंध विद्यमान है। असंगठित कामगारों को उनकी पात्रता के आधार पर प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के माध्यम से जीवन और अपंगता छत्र प्रदान किया जाता है। स्वास्थ्य एवं प्रसूति लाभ आयुष्मान भारत स्कीम के माध्यम से उपलब्ध कराए जाते हैं। न्यूनतम मासिक पेंशन के रूप में वृद्धावस्था संरक्षण के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने हाल ही में प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन (पीएम-एसवाईएम) योजना को आरम्भ किया है जो कि एक स्वैच्छिक एवं अंशदायी पेंशन योजना है जिसके माध्यम से असंगठित कामगारों को 60 वर्ष की आयु करने पर 3000/- रुपये की न्यूनतम आश्वासित मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी। 18 से 40 आयु वर्ग के असंगठित कामगार जिनकी मासिक आय 15000/-रूपये अथवा कम है और जो ईपीएफओ/ईएसआईसी/एनपीएस के सदस्य नहीं हैं, इस योजना में शामिल हो सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत 50 प्रतिशत अंशदान का भुगतान लाभार्थी द्वारा किया जाता है और समान मैचिंग अंशदान का भुगतान केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है।

*****

तालिका 1: वर्ष 2017-18 के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रत्येक के लिए सामान्य स्थिति(यूज़ुअल स्टेटस) (प्राथमिक क्षेत्र + द्वितीय क्षेत्र) (पीएस+एसएस) के अनुसार कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यू पी आर) (प्रतिशत में)

राज्य /संघ राज्य क्षेत्र	डब्ल्यू पी आर (प्रतिशत में)
(1)	(10)
आंध्र प्रदेश	45.0
अरुणाचल प्रदेश	30.7
असम	32.9
बिहार	23.6
छत्तीसगढ़	45.7
दिल्ली	32.8
गोवा	34.7
गुजरात	36.2
हरियाणा	30.5
हिमाचल प्रदेश	46.4
जम्मू और कश्मीर	38.6
झारखंड	28.8
कर्नाटक	38.1
केरल	32.4
मध्य प्रदेश	40.0
महाराष्ट्र	39.2
मणिपुर	32.1
मेघालय	41.5
मिजोरम	36.0
नगालैंड	25.9
ओडिशा	33.8
पंजाब	33.8
राजस्थान	34.2
सिक्किम	47.0
तमिलनाडु	40.5
तेलंगाना	39.3
त्रिपुरा	33.8
उत्तराखंड	30.7
उत्तर प्रदेश	28.7
पश्चिम बंगाल	37.3
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	37.4
चंडीगढ़	35.6
दादरा और नगर हवेली	45.8
दमन और दीव	50.9
लक्षद्वीप	26.0
पुडुचेरी	30.1
अखिल भारतीय	**34.7**
स्रोत: वार्षिक रिपोर्ट, पीएलएफएस, 2017-18	

तालिका 2: वर्ष 2017-18 के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रत्येक के लिए उद्योग कार्य में सामान्य रूप से कार्यरत व्यक्तियों(पीएस+एसएस) का प्रतिशत आंबटन

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एनआईसी के उद्योग वर्ग 2008 -																					
	क	ख	ग	घ	ड.	च	छ	ज	झ	ञ	ट	ठ	ड	ढ़	ण	त	थ	द	ध	न	प	समस्त
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
आंध्र प्रदेश	49.78	0.44	9.73	0.32	0.20	10.02	8.25	5.96	2.63	0.51	0.89	0.24	0.42	0.56	1.25	3.11	1.41	0.13	2.74	1.41	0.00	100.00
अरुणाचल प्रदेश	50.08	0.00	1.53	0.26	0.63	3.93	15.52	6.16	0.72	0.29	0.38	0.00	0.30	0.21	7.31	9.83	0.74	0.10	0.64	1.35	0.00	100.00
असम	45.47	0.34	6.65	0.13	0.03	9.94	14.11	5.33	0.93	0.17	0.42	0.07	0.40	1.93	2.08	6.22	1.48	0.09	1.49	2.74	0.00	100.00
बिहार	45.10	0.07	8.93	0.06	0.03	16.30	11.83	3.59	1.85	0.54	0.90	0.18	0.86	1.17	0.58	4.07	0.75	0.56	1.96	0.67	0.00	100.00
छत्तीसगढ़	67.50	0.50	4.40	0.86	0.22	9.31	6.20	1.91	1.16	0.18	0.40	0.06	0.19	0.26	1.45	3.05	1.01	0.22	0.90	0.22	0.00	100.00
दिल्ली	1.21	0.24	23.69	0.60	0.77	7.31	19.83	9.78	5.43	2.76	2.05	1.04	1.84	4.88	3.40	3.34	2.51	0.19	5.61	3.49	0.00	100.00
गोवा	8.47	0.98	18.03	1.34	0.84	8.89	12.70	8.12	8.10	0.36	3.33	1.02	0.71	0.65	10.01	7.11	2.10	0.18	2.27	4.79	0.00	100.00
गुजरात	42.43	0.35	20.04	0.39	0.39	6.16	10.84	5.91	1.33	0.96	1.42	0.11	0.90	0.89	1.17	2.40	1.30	0.14	1.92	0.94	0.01	100.00
हरियाणा	27.41	0.17	19.50	0.72	0.52	12.93	11.65	8.08	0.92	1.47	1.46	0.62	1.80	1.30	1.90	4.55	1.52	0.07	2.73	0.68	0.00	100.00
हिमाचल प्रदेश	55.61	0.02	6.18	0.70	0.47	14.74	4.53	4.20	1.64	0.15	0.48	0.02	0.46	1.56	2.17	4.58	0.82	0.12	1.36	0.17	0.00	100.00
जम्मू और कश्मीर	40.74	0.15	7.41	0.44	1.28	16.54	9.51	5.41	1.05	0.38	0.73	0.07	0.67	0.71	6.26	5.33	1.77	0.26	1.08	0.21	0.00	100.00
झारखंड	46.75	1.48	8.69	0.22	0.23	18.54	7.92	4.20	1.61	0.17	0.55	0.20	0.44	0.97	1.48	3.58	0.81	0.04	1.65	0.46	0.00	100.00
कर्नाटक	45.72	0.31	12.29	0.28	0.23	7.92	8.91	6.24	2.91	2.21	1.24	0.44	0.79	1.02	1.76	3.87	1.31	0.17	1.64	0.72	0.00	100.00
केरल	19.85	0.26	11.31	0.40	0.25	19.11	14.02	9.21	2.74	1.47	2.97	0.22	1.32	1.68	2.11	4.96	3.46	0.60	2.70	1.38	0.00	100.00
मध्य प्रदेश	60.59	0.51	6.10	0.37	0.19	11.45	6.98	2.53	0.89	0.31	0.87	0.08	0.47	0.71	1.49	3.54	0.83	0.09	1.31	0.68	0.00	100.00
महाराष्ट्र	47.79	0.13	11.74	0.26	0.16	5.75	9.35	5.15	1.69	1.66	1.80	0.15	1.48	1.48	2.04	3.83	1.35	0.41	2.24	1.52	0.03	100.00
मणिपुर	36.41	0.15	12.06	0.03	0.09	7.10	11.76	5.35	1.05	0.43	0.49	0.00	0.92	5.23	5.76	8.36	2.50	0.12	1.69	0.50	0.00	100.00
मेघालय	56.27	0.70	1.77	0.15	0.00	10.79	7.26	3.83	2.11	0.26	0.21	0.02	0.20	1.03	3.40	6.09	2.68	0.37	1.08	1.78	0.00	100.00
मिजोरम	43.97	1.01	4.19	0.22	0.20	7.78	11.72	3.78	0.77	0.27	0.09	0.03	0.42	4.28	8.21	9.12	1.85	0.00	0.98	1.13	0.00	100.00
नागालैंड	36.79	0.06	5.68	0.29	2.01	0.27	10.72	5.43	0.62	0.42	0.12	0.00	1.27	12.76	4.80	9.74	1.66	0.15	7.12	0.07	0.00	100.00
ओडिशा	48.76	1.17	7.42	0.33	0.23	17.29	8.54	4.42	1.18	0.39	0.53	0.12	0.54	0.88	1.18	3.67	0.75	0.12	1.99	0.49	0.00	100.00
पंजाब	26.04	0.12	18.88	0.51	0.27	13.32	15.19	4.63	1.57	0.77	1.62	0.18	0.76	1.08	2.79	5.87	1.28	0.73	2.89	1.51	0.00	100.00
राजस्थान	49.57	1.72	9.06	0.51	0.42	14.35	8.28	3.47	1.17	0.29	0.71	0.33	0.62	1.05	1.75	3.41	0.73	0.30	1.86	0.41	0.00	100.00
सिक्किम	41.48	0.22	6.91	1.07	0.54	6.75	10.68	4.75	5.12	0.24	0.80	0.33	0.85	0.92	6.84	6.39	3.80	0.77	1.55	0.00	0.00	100.00
तमिलनाडु	27.74	0.37	19.45	0.52	0.35	14.23	10.92	6.12	2.96	2.59	1.53	0.33	1.03	1.87	1.29	3.68	1.39	0.33	1.88	1.42	0.00	100.00
तेलंगाना	43.43	0.58	12.29	0.58	0.13	9.00	8.80	5.58	1.27	3.13	1.56	0.31	1.24	1.16	1.59	3.22	1.37	0.18	2.06	2.51	0.00	100.00
त्रिपुरा	29.05	0.16	6.96	0.07	0.05	13.99	17.11	7.45	0.86	0.16	0.36	0.00	1.02	2.38	6.11	6.28	1.07	0.07	2.33	4.51	0.00	100.00
उत्तराखंड	42.53	0.11	9.40	0.48	0.14	9.86	11.33	5.48	2.54	0.35	1.04	0.36	0.73	2.27	2.20	7.50	1.59	0.33	1.45	0.30	0.00	100.00
उत्तर प्रदेश	48.75	0.08	11.38	0.19	0.25	13.49	10.85	3.70	1.83	0.42	0.48	0.16	0.66	0.71	1.09	3.15	0.82	0.27	1.47	0.24	0.00	100.00
पश्चिम बंगाल	36.56	0.36	17.80	0.15	0.15	11.55	11.11	5.70	2.28	0.66	0.68	0.14	0.73	1.46	1.17	4.06	1.10	0.44	1.75	2.15	0.00	100.00
अंडमान और निकोबार द्वीप	15.47	0.25	6.13	1.55	0.23	15.98	9.37	8.68	3.79	1.00	0.66	0.00	1.19	1.97	21.23	3.52	6.35	0.08	0.41	2.13	0.00	100.00
चंडीगढ़	0.46	0.00	15.15	2.74	0.14	5.19	16.84	5.48	6.05	1.82	2.94	0.49	3.95	3.32	14.86	5.66	4.76	0.56	3.14	6.47	0.00	100.00
दादरा और नगर हवेली	19.82	0.00	57.36	1.50	0.00	1.83	3.91	4.57	1.83	0.75	0.11	0.00	0.45	0.96	1.24	4.01	1.26	0.12	0.08	0.21	0.00	100.00
दमन और दीव	2.51	0.00	61.30	0.57	0.00	2.84	11.54	1.58	2.78	0.01	1.87	0.00	0.38	1.85	4.66	3.79	0.76	0.00	0.86	2.70	0.00	100.00
लक्षद्वीप	25.67	0.00	1.33	1.45	0.00	13.33	4.69	8.82	6.40	3.22	0.90	0.00	3.41	2.01	9.06	11.66	4.52	1.15	2.40	0.00	0.00	100.00
पुडुचेरी	11.57	0.00	17.42	1.25	0.39	13.95	14.07	8.11	2.12	3.94	0.92	0.06	2.02	3.29	3.12	7.39	3.99	0.62	5.26	0.53	0.00	100.00
अखिल भारतीय	44.14	0.41	12.13	0.34	0.25	11.67	10.09	4.93	1.87	0.99	1.05	0.21	0.83	1.19	1.62	3.78	1.20	0.28	1.92	1.08	0.00	100.00

स्रोतः वार्षिक रिपोर्ट पीएलएफएस, 2017-18

तालिका 3: वर्ष 2017-18 के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रत्येक के लिए फसलों की पैदावार को छोड़कर कृषि क्षेत्र, बाजार बागवानी, हार्टीकल्चर तथा पशुपालन सहित फसल उत्पादन एवं एवं गैर-कृषि क्षेत्र को छोड़कर अनौपचारिक क्षेत्र में सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) में कामागरों का प्रतिशत

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**अनौपचारिक क्षेत्र में सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) में कामगारों की प्रतिशत**
(1)	(2)
आंध्र प्रदेश	78.3
अरुणाचल प्रदेश	48.2
असम	61.9
बिहार	63.4
छत्तीसगढ़	74.6
दिल्ली	60.2
गोवा	43.2
गुजरात	67.1
हरयाणा	67.0
हिमाचल प्रदेश	48.3
जम्मू और कश्मीर	66.8
झारखंड	66.5
कर्नाटक	65.5
केरल	67.3
मध्य प्रदेश	64.8
महाराष्ट्र	56.8
मणिपुर	50.8
मेघालय	46.9
मिजोरम	44.2
नगालैंड	20.1
ओडिशा	66.9
पंजाब	74.0
राजस्थान	73.7
सिक्किम	53.1
तमिलनाडु	60.0
तेलंगाना	59.9
त्रिपुरा	67.9
उत्तराखंड	54.3
उत्तर प्रदेश	85.4
पश्चिम बंगाल	76.8
एक और एन द्वीप	53.3
चंडीगढ़	56.7
दादरा और नगर हवेली	31.7
दमन और दीव	25.9
लक्षद्वीप	39.5
पुडुचेरी	47.8
अखिल भारतीय	**68.4**

स्रोत: वार्षिक रिपोर्ट,पीएलएफएस, 2017-18

व्याख्यात्मक टिप्पणी:

1. कामगार की परिभाषा (नियोजित व्यक्ति): वे व्यक्ति जो, संदर्भ अवधि के दौरान, किसी आर्थिक गतिविधि में कार्यसंलग्न थे या जो, आर्थिक गतिविधि से उनकी संलग्नता के बावजूद बीमारी, चोट या अन्य शारीरिक अपंगता, खराब मौसम, त्योहार, सामाजिक या धार्मिक समारोहों अथवा अन्य आकस्मिकताओं के कारण अस्थायी रूप से काम से अलग रहे, कामगार कहलाते हैं।
2. यूजुअल स्टेटस वर्कर (ps+ss) की परिभाषा: यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस (ps) और सबसीडियरी स्टेटस (ss) पर एक-साथ विचार करके यूजुअल स्टेटस वर्कर (ps+ss) ज्ञात किया जाता है। यूजुअल स्टेटस के कामगारों (ps+ss) में (क) वे व्यक्ति शामिल हैं, जिन्होंने सर्वेक्षण की तारीख से पूर्व 365 दिन की अपेक्षाकृत लंबी अवधि तक काम किया हो तथा (ख) शेष जनसंख्या में से वे व्यक्ति शामिल हैं जो सर्वेक्षण की तारीख से पूर्व 365 दिन के संदर्भ अवधि के दौरान कम-से-कम 30 दिन काम कर चुके थे।

कामगार जनसंख्या का अनुपात (डब्ल्यूपीआर) = नियोजित व्यक्तियों की संख्या/कुल जनसंख्या * 100

3. स्वामित्व वाला उद्यम: जब एक व्यक्ति किसी उद्यम का एक मात्र स्वामी होता है तो वह स्वामित्व वाला उद्यम होता है। निजी उपयोग हेतु अचल परिसम्पत्तियों का स्व-उत्पादन, जब एकल सदस्य द्वारा उत्पादित हो, स्वामित्व संबंधी उद्यम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

4. साझेदारी वाला उद्यम साझेदारी को 'उन व्यक्तियों के बीच संबंध जो चलाए जाने वाले व्यवसायों के लाभों को सभी के द्वारा अथवा सभी के लिए आचरण करने वाले उनमें से किसी एक द्वारा साझा किए जाने के लिए सहमत हों'के रूप में परिभाषित किया जाता है। औपचारिक पंजीकरण के साथ या इसके बिना, साझेदारी के आधार पर एक ही या अलग-अलग परिवारों से संबंध रखने वाले दो या इससे अधिक स्वामी हो सकते हैं (जहां तथाकथित साझेदारों के बीच लाभ के वितरण के बारे में मौन सहमति हो) अचल परिसम्पत्तियों का स्व-उत्पादन, जब एक ही या अलग-अलग परिवारों से संबंध रखने वाले दो या इससे अधिक स्वामियों द्वारा उत्पादित हो, साझेदारी उद्यम के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। अत: परिवार समूह द्वारा समुदाय के प्रयोजनार्थ अचल परिसंपत्तियों का स्व-उत्पादन, साझेदारी वाले उद्यम के रुप में वर्गीकृत किया जाएगा।

5. अनौपचारिक क्षेत्र: स्वामित्व और साझेदारी वाले उद्यमों को अनौपचारिक क्षेत्र कहा जाता है।

6. **एनआईसी-2008 की व्यापक संरचना**

प्राथमिक क्षेत्र (खंड क)

समूह 014: वन्य प्राणी प्रजनन
समूह 016: कृषि तथा कटाई के उपरांत फसल संबंधी गतिविधियों के लिए सहायक गतिविधियां
समूह 017: शिकार, ट्रैपिंग तथा संबंधित सेवाओं की गतिविधियां
भाग 02: वानिकी एवं लॉगिंग
भाग 03: मत्स्य पालन एवं जल प्रसंस्करण (एक्वा कल्चर)

द्वितीयक क्षेत्र (खंड ख से खंड च)

खंड ख: खनन एवं क्वैरिंग
खंड ग: विनिर्माण
खंड घ: विद्युत, गैस, वाष्प तथा वातानुकूलन आपूर्ति
खंड ङ: जलापूर्ति; सीवरेज, अपशिष्ट प्रबंधन और निराकरण संबंधी गतिविधियां
खंड च: निर्माण

तृतीयक क्षेत्र (खंड छ से खंड प)

खंड छ: थोक तथा खुदरा व्यापार; मोटर वाहनों तथा मोटर साइकिलों की मरम्मत
खंड ज: परिवहन एवं भंडारण
खंड झ: आवास एवं खादय सेवा संबंधी गतिविधियां
खंड ञ: सूचना एवं संचार
खंड ट: वित्तीय एवं बीमा संबंधी गतिविधियां
खंड ठ: रियल एस्टेट संबंधी गतिविधियां
खंड ड: व्यावसायिक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी गतिविधियां
खंड ढ: प्रशासनिक एवं सहायक सेवा संबंधी गतिविधियां
खंड ण: लोक प्रशासन एवं रक्षा; अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा
खंड त: शिक्षा
खंड थ: मानव स्वास्थ्य एवं सामाजिक संबंधी गतिविधियां
खंड द: कला, मनोरंजन एवं मनोविनोद
खंड ध: अन्य सेवा संबंधी गतिविधियां
खंड न: नियोक्ताओं के रूप में पारिवारिक गतिविधियां; अविभेदय वस्तु एवं अपने उपयोग के लिए परिवार की सेवा उत्पादक गतिविधियां ,
खंड प: जलतटीय संगठनों एवं निकायों से अलग गतिविधियां